(30)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकः प0 27(33)चिस्वा/2/2015 जयपुर दिनांक 26.08.2015

अपील संख्या 33/2015

मै. सोबार प्राईवेट लि0 सीएससी, सी–9, बसन्त कुन्ज, नई दिल्ली 11070 ।

अपीलान्ट

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर राज0।

रेस्पोण्डेन्ट

प्रथम अपीलीय अधिकारी, अपील अन्तर्गत धारा 38(1).RTPP Act, 2012

निर्णय दिनांक : 26.08.2015

1. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा टेण्डर न0 NIB-65/7253 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा लगभग 63 Blood Gas Analyzer उपकरणों की मांग की गई थी। जिसमें अन्य निविदादाताओं के साथ अपीलान्ट संस्था द्वारा भी अपनी निविदा प्रस्तुत की थी। दौरान निविदा अपीलान्ट संस्था ने भी अपना उपकरण डेमोस्ट्रेशन हेतु तकनीकी समिति जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चार विशेषज्ञ सम्मिलित थे के समक्ष प्रस्तुत किया। जिनके द्वारा दिनांक 16.03.2015 को अपीलान्ट संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरण का डेमोस्ट्रेशन एवं परीक्षण किया गया जिसमें अपीलान्ट का उपकरण निविदा में वर्णित उपकरण के स्पैसीफिकेशन के S.N. 1, 2, व 3 के अनुसार सही नही पाया गया। तकनीकी समिति की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट संस्था को आरएमएससी द्वारा दिनांक 17.04.2015 को नॉन–रेस्पोंसिवा घोषित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट फर्म ने दिनांक 12.06.2015 को एक परिवेदना प्रस्तुत की जिसका उत्तर रेस्पोण्डेन्ट ने दिनांक 09.07.2015 को दिया जो पत्रावली में उपलब्ध हैं। अपीलान्ट फर्म ने रेस्पोण्डेन्ट के आदेश दिनांक 17.04.2015 (नॉन–रेस्पोंसिवनेस्) के विरूद्ध RTPP Act, 2012 की धारा 38(1) के तहत हस्तगत अपील दिनांक 24.07.2015 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपील को सुनवाई हेतु दर्ज की गई एवं रेस्पोण्डेन्ट को हस्तगत निविदा के सम्बन्ध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं अपील सुनवाई हेतु दिनांक 26.08.2015 को तलब किया गया।

3. आरएमएससी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों ने प्राथमिक रूप से अपील को अवधि वाधित बताते हुये खारिज किये जाने की याचना की क्योकि अपील आदेश दिनांक 17.04.2015 के जारी होने के 10 दिन के भीतर ही की जा सकती थी। जबकि अपील तीन माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई है। जिसको क्षमा करने का न तो प्रार्थना पत्र है और न ही कोई उचित कारण प्रस्तुत किया है। इसके विपरीत अपीलान्ट की ओर से उपस्थित

प्रतिनिधि ने मौखिक रूप से अपील में की गई देरी को क्षमा करने की प्रार्थना की और कहा की देरी को क्षमा करने से न्याय की प्राप्ति होगी।

4. जहां तक अपील के अवधि से बाहर होने का प्रश्न है यह बिन्दु प्रस्तुत मामले में गौण प्रतीत होता है क्योंकि अपील तकनीकी समिति के सदस्यों पर आक्षेपों पर आधारित है। भले ही अपीलान्ट ने देरी को क्षमा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है परन्तु अपीलान्ट की मौखिक प्रार्थना पर देरी को क्षमा करते हुए न्याय हित में अपील की सुनवाई करना श्रेयस्कर पाता हूँ। अतः अपील में की गई देरी क्षमा की गई और अपील पर अग्रिम सुनवाई की गई।

5. अपीलान्ट की ओर से श्री के.एस. नेगी, रिजनल सेल्स मेनेजर, तथा रेस्पोण्डेन्ट की ओर से श्री राम किशोर रैगर, कार्यकारी निदेशक, ई.पी.एम. एवं डॉ. हेमन्त शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक–प्रथम, ई.पी.एम. उपस्थित हुए। दोनो पक्षों को अपील पर सुना गया। अपीलान्ट की ओर से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त उपकरण में वह सभी स्पेसिफिकेशन उपलब्ध है, जो निविदा में आपेक्षित किये गये है। एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों ने गलत प्रकार से उसके उपकरण को स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नही मान कर असफल घोषित किया है। अपीलान्ट का कहना रहा है कि उसके उपकरण की जांच किसी राजकीय मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी यथा NABL Accreditation Testing Laboratories, Jaipur से करवाली जावे। उन्होने निविदा को रोकने का भी आग्रह किया।

इसके विपरीत आर.एम.एस.सी. की और से उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपीलान्ट के आरौपो का खंडन करते हुए कहा कि उपकरण का परीक्षण विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया है जो इस क्षेत्र में माहिर है। अतः तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर अविश्वास नही किया जा सकता। उनका यह भी तर्क रहा कि मामले में रेट कान्ट्रेक्ट सफल निविदा दाता से हो चुका है और क्रय आदेश जारी होकर उपकरण आपूर्ती की स्थिती में चल रहे है। इसलिए अब यह अपील पंगु (Infructuous) भी हो गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षों को सुना व ध्यान पूर्वक उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोन किया। हस्तगत मामले में प्रमुख रूप से अपीलान्ट का आरोप रहा है कि उसके उपकरण में वह सभी स्पैसीफिकेशन उपलब्ध है जिनकी निविदा में रेस्पोण्डेन्ट द्वारा आपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने उपकरण का कैट–लॉग या साहित्य भी प्रस्तुत किया है जिसमें स्पैसिफिकेशन में वर्णित सीरियल नम्बर 1 से 3 में वर्णित खुबिया उपलब्ध बताई गई है। ऐसी स्थिती में प्राथमिक तौर पर यह उचित मानता हूँ कि परिवादी अपीलान्ट द्वारा डेमो के समय प्रस्तुत उपकरण की जांच किसी राजकीय मान्यता प्राप्त NABL Accreditation Testing Laboratories, Jaipur से करवाई जावे। ताकि वास्तविकता प्रकट हो सके और अन्तिम नतीजे पर पहुँचा जा सके।

(नवीन जैन)
प्रथम अपील अधिकारी एवं
विशिष्ट शासन सचिव

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन एवं कारणों के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट आरएमएससी को यह आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट फर्म अपने पूर्व डेमो हेतु प्रस्तुत किये गये उपकरण Blood Gas Analyzer को आरएमएससी में नियुक्त श्री आकाश सेन, बॉयो–मेडिकल इंजीनियर, (R & M) के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करावे। जिसे बीएमई नियमानुसार सीलबन्द हालात में किसी मान्यता प्राप्त NABL Accreditation Testing Laboratories, Jaipur में प्रस्तुत कर विवादित स्पेसिफिकेशन का नियमानुसार परीक्षण करावे। परीक्षण रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। ताकि मामले में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सके। अपील प्राथमिक तौर पर निस्तारित की जाती है। उपरोक्तानुसार पत्र सम्बन्धित को अलग से जारी किया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे एवं इसे विभाग की पोर्टल पर भी डाला जावे।

(नवीन जैन)
प्रथम अपील अधिकारी एवं
विशिष्ट शासन सचिव